/

विभागीय नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम

बनाम

कलावती पांडुरंग फुलजेल (2022 की सिविल अपील संख्या 463) 31 जनवरी, 2022

/

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947:धारा 25 एफ और 25 जी-श्रमिकों की छंटनी-तथ्यों के आधार पर, औद्योगिक न्यायालय को छोड़कर निचली अदालतों द्वारा अलग रखे गए श्रमिकों की बर्खास्तगी और पिछले वेतन के साथ बहाली का आदेश दिया गया-की शुद्धता-आयोजितःकर्मचारी की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर एक निश्चित मानदेय पर की गई थी, उसने लगभग चार साल तक काम किया और किसी भी अनुचित श्रम अभ्यास पर कोई आरोप नहीं था-केवल श्रम न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष एस. एस. के उल्लंघन में समाप्ति था। 25 एफ और 25 जी-इस प्रकार, बहाली और वापस मजदूरी का आदेश आवश्यक नहीं है और इसके बजाय श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संशोधित करते हुए एकमुश्त मुआवजा दिया जाता है -धारा 2 (ऊ) (बीबी)-औद्योगिक विवाद अधिनियम (बॉम्बे) नियम, 1957 -आर. 81.

/

/

/

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए**,** न्यायालय ने कहा:**1.1** यह सच है कि नीचे दिए गए तीनों न्यायालय ों **(**औद्योगिक न्यायालय को छोड़कर**)** ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा **25-**एफ और **25-**जी के उल्लंघन में प्रतिवादी**-**श्रमिक को बर्खास्त करने का निर्णय दिया और इसलिए**,** श्रम न्यायालय ने पिछले वेतन के साथ बहाली का आदेश दिया।हालाँकि**,** यह ध्यान रखना आवश्यक है कि स्वयं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नियुक्ति आदेश के अनुसार**,** उनकी नियुक्ति अनुबंध के आधार पर रुपये के निश्चित वेतन**/**मानदेय पर की गई थी। **500/-** प्रति माह।हालाँकि**,** यह अपीलार्थी की ओर से एक मामला है कि उनकी नियुक्ति एक निश्चित अवधि की नियुक्ति थी**,** हालाँकि**,** नियुक्ति आदेश पर विचार करते हुए**,** नियुक्ति अगले आदेश तक थी।यह भी विवादित नहीं है कि उन्होंने लगभग चार साल तक सफाईकर्मी के रूप में काम किया।इस प्रकार किसी भी अनुचित श्रम व्यवहार पर शिकायत में कोई विशिष्ट कथन**/**आरोप नहीं हैं।यहाँ तक कि कोई विशिष्ट ए नहीं था

/

/

/

399

400 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

श्रम न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष कि एम. एस. आर. टी. सी. द्वारा कोई अनुचित श्रम प्रथा अपनाई गई थी। श्रम न्यायालय द्वारा दर्ज एकमात्र निष्कर्ष यह था कि बर्खास्तगी औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा **25-**एफ और **25-**जी का उल्लंघन था। मामले के विशिष्ट अधिनियमों और परिस्थितियों में**,** जब नियुक्ति विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पर और प्रति माह **Rs.500** के एक निश्चित वेतन/मानदेय पर थी**,** तो पिछले वेतन के साथ बहाली का आदेश आवश्यक नहीं था और इसके बजाय यदि एकमुश्त मुआवजे के रूप में रु। बहाली और वापस मजदूरी के बदले में केवल तीन लाख दिए जाते हैं**,** यह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा।इसे ध्यान में रखते हुए**,** उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश और पिछले वेतन के साथ बहाली का आदेश देने वाले श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और निर्णय को एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है और अपीलार्थी को निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिवादी को एकमुश्त मुआवजे के रूप में रु**. 3,00,000-(**केवल तीन लाख रुपये**)** का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।**[**पैरा **6-8] [403-**डी**-**जी**; 404-**ए**-**डी**]**

/

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील सं. 463

2022.

बॉम्बे, नागपुर पीठ, नागपुर में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 30.01.2020 से 2003 की रिट याचिका No.3819 में 2008 की लेटर्स पेटेंट अपील No.37 में।

/

सुश्री मयूरी रघुवंशी, व्योम रघुवंशी, सुश्री पूर्वत वली, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सुभाशीष भौमिक, सुश्री मनीषा पांडे, हर्ष गुप्ता, जॉन थॉमस हरकल, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. 2008 के एल. पी. ए. संख्या 37 में नागपुर में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30.01.2020 के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त अपील को खारिज कर दिया है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की है, जिसने औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश अपास्त करते हुए कर दिया है और खारिज कर दिया है और श्रम न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार को बहाल कर दिया है, जिसमें अपीलकर्ता ए.

/

/

401

विभागीय नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम. v.कलावती पांडुरंग फुलज़ेल [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

प्रत्यर्थी को पिछले वेतन के साथ बहाल करने के लिए, नियोक्ता-महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (जिसे इसके बाद एमएसआरटीसी कहा गया है) ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. कि इसमें प्रत्यर्थी को सफाईकर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था, सबसे पहले नियुक्ति के लिखित आदेश दिनांक 08.06.1989 द्वारा और एक अन्य आदेश दिनांक 01.04.1991 द्वारा प्रति माह Rs.500 के समेकित मानदेय पर।कि उनके समेकित मानदेय में प्रति माह Rs.50 की वृद्धि हुई थी।उन्होंने लगातार सफाईकर्मी के रूप में काम किया जब तक कि उन्हें अंत में 01.08.1994 पर समाप्त नहीं कर दिया गया।ऐसा प्रतीत होता है कि उसका पति एम. एस. आर. टी. सी., चंद्रपुर डिपो में कुली के रूप में काम कर रहा था और अचानक वह अंधा हो गया और इस तरह उसका परिवार अचानक गरीबी की स्थिति में चला गया।इसलिए, उन्हें अनुबंध के आधार पर सफाईकर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था।उन्होंने अपीलार्थी-एमएसआरटीसी के खिलाफ श्रम न्यायालय , चंद्रपुर के समक्ष महाराष्ट्र ट्रेड यूनियनों की मान्यता और अनुचित श्रम प्रथाओं की रोकथाम अधिनियम, 1971 की अनुसूची IV की धारा (1) के साथ पठित धारा 28 के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में मूल रूप से उसने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी।शिकायत में यह उसका मामला था कि उसने बिना किसी विराम के काम किया और अपनी सेवाओं को समाप्त करते समय उसे न तो कोई छंटनी मुआवजा दिया गया और न ही एक महीने का नोटिस या उसके बदले में मजदूरी दी गई।कोई वरिष्ठता सूची तैयार या प्रकाशित नहीं की गई थी और औद्योगिक विवाद अधिनियम (बॉम्बे) नियम, 1957 की धारा 25-जी और नियम 81 का उल्लंघन किया गया था।

/

/

/

/

2.1 श्रम न्यायालय ने दिनांक 1 के निर्णय और पुरस्कार के माध्यम से अपीलार्थी को इस आधार पर उसे पिछले वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया कि बर्खास्तगी औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ और 25-जी का उल्लंघन थी। श्रम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (oo) (bb) का प्रावधान लागू होगा।

/

2.2 श्रम न्यायालय द्वारा बहाली और वापस मजदूरी के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, एम. एस. आर. टी. सी. ने औद्योगिक न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका को प्राथमिकता दी और दिनांक आई. डी. 3 के निर्णय और आदेश द्वारा, औद्योगिक न्यायालय ने 2002 के उक्त पुनरीक्षण आवेदन आई. डी. 1 को अनुज्ञात और 1994 के शिकायत (यू. एल. पी. ए.) संख्या 135 में श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक आई. डी. 2 के निर्णय और पुरस्कार को रद्द कर दिया।

/

2.3 औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, प्रतिवादी-कर्मचारी ने 2003 की रिट याचिका संख्या 3819 के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को प्राथमिकता दी।04.06.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश द्वारा, के विद्वान एकल न्यायाधीश

/

उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को अनुज्ञात कर लिया और औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया और श्रम न्यायालय द्वारा पुनर्स्थापना और पिछले वेतन के लिए पारित निर्णय को बहाल कर दिया।

2.4 श्रम न्यायालय द्वारा पुनर्स्थापना और पिछले वेतन के निर्णय को बहाल करने और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ और 25-जी के उल्लंघन में प्रतिवादी की समाप्ति को रोकने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, एमएसआरटीसी ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील को प्राथमिकता दी और आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त अपील को खारिज कर दिया है, इसलिए एमएसआरटीसी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

/

3. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री मयूरी रघुवंशी ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को पिछले वेतन के साथ बहाल करने का आदेश देने में गंभीर त्रुटि की है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करने और/या पुष्टि करने में भौतिक रूप से गलती की है जिसमें कहा गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ और 25-जी का उल्लंघन किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पर थी और एक विशेष अवधि के लिए और अनुबंध की अवधि पूरी होने पर, उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब वह अनुबंध के आधार पर अंशकालिक के रूप में कार्य कर रही थी, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (oo) (bb) लागू नहीं होगी और इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-F और 25-G के उल्लंघन का कोई प्रश्न ही नहीं है जैसा कि श्रम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है और जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है।

/

/

3.1 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए।

/

4. प्रतिवादी-कर्मचारी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री सुभाशीष भौमिक ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।

/

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार तीन अदालतों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं कि प्रतिवादी की समाप्ति औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ और 25-जी का उल्लंघन थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार जब यह पाया जाता है कि बर्खास्तगी

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ और 25-जी का उल्लंघन थी, तो श्रम न्यायालय ने उचित रूप से पिछले वेतन के साथ बहाली का आदेश दिया।

/

403

विभागीय नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम. v.कलावती पांडुरंग फुलज़ेल [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

/

4.2 प्रतिवादी-कर्मचारी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री सुभाशीष भौमिक द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह की शिकायत प्रतिवादी द्वारा अनुचित श्रम प्रथाओं का आरोप लगाते हुए की गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी को उसके पति के स्थान पर नियुक्त किया गया था, जो एमएसआरटीसी में कुली के रूप में काम कर रहा था, हालांकि, दुर्भाग्य से, वह अंधा हो गया और उसके स्थान पर प्रत्यर्थी को नियुक्त किया गया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि उन्होंने अपनी सेवाओं को समाप्त करने तक लगातार काम किया और सेवा में कोई विराम नहीं था, इसलिए बर्खास्तगी को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ और 25-जी का उल्लंघन माना जाता है।

/

4.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

/

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

6. यह सच है कि नीचे दिए गए तीनों न्यायालय ों (औद्योगिक न्यायालय को छोड़कर) ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ और 25-जी के उल्लंघन में प्रतिवादी-श्रमिक को बर्खास्त करने का निर्णय दिया और इसलिए, श्रम न्यायालय ने पिछले वेतन के साथ बहाली का आदेश दिया।हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि स्वयं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नियुक्ति आदेश के अनुसार, उनकी नियुक्ति अनुबंध के आधार पर रुपये के निश्चित वेतन/मानदेय पर की गई थी। 500/- प्रति माह।हालाँकि, यह अपीलार्थी की ओर से एक मामला है कि उनकी नियुक्ति एक निश्चित अवधि की नियुक्ति थी, हालाँकि, नियुक्ति आदेश पर विचार करते हुए, नियुक्ति अगले आदेश तक थी।जो भी हो, तथ्य यह है कि उनकी नियुक्ति अनुबंध के आधार पर और Rs.500-प्रति माह के एक निश्चित वेतन/मानदेय पर थी।यह भी विवादित नहीं है कि उन्होंने लगभग चार साल तक सफाईकर्मी के रूप में काम किया।इस प्रकार किसी भी अनुचित श्रम प्रथा पर शिकायत में कोई विशिष्ट कथन/आरोप नहीं थे।यहां तक कि श्रम न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था कि एमएसआरटीसी द्वारा कोई अनुचित श्रम प्रथा अपनाई गई थी। श्रम न्यायालय द्वारा दर्ज एकमात्र निष्कर्ष यह था कि बर्खास्तगी औद्योगिक विवाद

अधिनियम की धारा 25-एफ और 25-जी का उल्लंघन था। 7.संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और प्रत्यर्थी की नियुक्ति की प्रकृति पर विचार करते हुए, अर्थात् प्रति माह Rs.500 के एक निश्चित वेतन/मानदेय पर संविदात्मक नियुक्ति के रूप में और उसने लगभग चार साल तक काम किया, हमारी राय है कि बहाली और पिछले वेतन के बदले में, यदि एकमुश्त मुआवजा है

/

/

/

/

/

रु. 3,00,000-(केवल तीन लाख रुपये) दिए जाते हैं, यह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, जब नियुक्ति विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पर और प्रति माह एक निश्चित वेतन/मानदेय पर थी, तो पिछले वेतन के साथ बहाली का आदेश आवश्यक नहीं था और इसके बजाय यदि एकमुश्त मुआवजा पुनर्स्थापना और पिछले वेतन के बदले में दिया जाता है, जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, तो यह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा।

/

8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील आंशिक रूप से सफल होती है।उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश और पिछले वेतन के साथ बहाली का आदेश देने वाले श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और निर्णय को एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है और बहाली और पिछले वेतन के बदले, अपीलार्थी को प्रतिवादी को एकमुश्त मुआवजे के रूप में रु. 3,00,000-(केवल तीन लाख रुपये) का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, जिसका भुगतान आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना है।

/

वर्तमान अपील की आंशिक रूप से उपरोक्त सीमा तक अनुज्ञात ।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

/

निधि जैन

अपील की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।

/

/

/

/